संख्या 51 /2018/253/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(62)/2015

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषय- जनपद न्यायालय इलाहाबाद एवं कानपुर के जनपद न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीशगण के विश्राम कक्ष एवं न्यायालय कक्ष के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में वातानुकूलन (ए0सी0)की स्थापना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय इलाहाबाद एवं कानपुर के जनपद न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीशगण के विश्राम कक्ष एवं न्यायालय कक्ष के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में वातानुकूलन (ए0सी0) की स्थापना हेतु आगणन क्रमश: रू0163.28 लाख तथा रू0263.84 लाख अर्थात कुल रू0427.12 लाख की धनराशि अनुदान सं0- 42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014- न्याय प्रशासन- 00- 105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश -00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत आपके निवर्तन रखी गयी कुल धनराशि रू0734.90 लाख से निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- वातानुकूलन (ए0सी0) की स्थापना सुसंगत नियमों/शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा ।

2- वातानुकूलन (ए0सी0) की आवश्यकता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014- न्याय प्रशासन- 00- 105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश -00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण '' के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 28 /2018/253 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- ओ0एस0डी0 अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलहाबाद ।

6- समस्त कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।

7- न्याय अनुभाग-2 ।

8- वित्त ई- 12 ।

9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।